विश्वभाषा की ओर हिंदी के बढ़ते कदम

—राकेश शर्मा 'निशीथ'

सृष्टि के निर्माण काल से ही भाषा का संबंध मानव समाज से रहा है। मानव जीवन में भाषा एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना मानव गूंगा है। इस विश्व में कई महाद्वीप, राष्ट्र, प्रांत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद का कथन ''चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणी/बीस कोस पर पगड़ी बदले, तीस कोस पर धानी'' आज भी चरितार्थ हो रहा है। विदेशों से व्यापार करने के लिए संप्रेषण के लिए आवश्यकतानुसार भाषा अपनानी पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री और उनके प्रचार के लिए अपनाये जाने वाले साधनों में स्थानीय भाषा का उपयोग होता है। भारत में इस कार्य के लिए अधिकतर हिंदी का उपयोग हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल बेचने के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं अपना रही हैं।

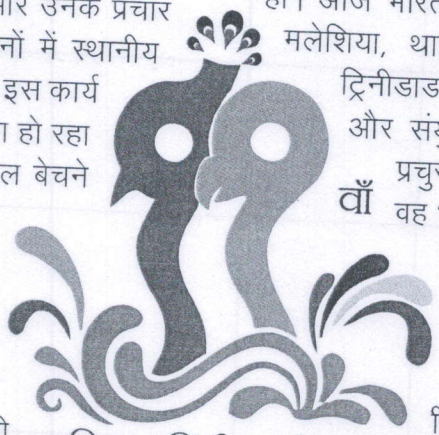

विश्व भाषा की परिकल्पना और हिंदी

आज संचार साधनों की बदौलत स्थानों के बीच की दूरियां बेमानी हो गई हैं या यह भी कह सकते हैं कि एक तरह से मिट गई है। संपूर्ण विश्व एक गांव बन गया है, जिसमें कभी भी, कहीं से भी, किसी से भी तत्काल संपर्क स्थापित हो सकता है, यदि आपके पास उसके लिए अपेक्षित साधन हों। यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व की दस भाषाएं ही जीवित रहेंगी, जिनमें हिंदी भी एक होगी। वैश्वीकरण एवं बाजारवाद के संदर्भ में हिंदी का महत्व इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भविष्य में भारत व्यावसायिक, व्यापारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से एक विकसित देश होगा।

विश्वभाषाएं तो विश्व की उस प्रत्येक भाषा को कहा जा सकता है, जिसमें प्रयोक्ता एकाधिक देशों में बसे हुए हैं किंतु विश्वभाषा पद की वास्तविक अधिकारिणी वे भाषाएं हैं, जो विश्व के अधिकतर देशों में पढ़ी, लिखी, बोली, सुनी और समझी जाती हैं। वस्तुतः प्रत्येक विश्वभाषा के प्रमुख कार्य होते हैं – बोलचाल एवं जनसंपर्क, साहित्य सृजन, शिक्षा एवं जनसंचार माध्यम, प्रशासनिक कामकाज, व्यावसायिक और तकनीकी अनुप्रयोग और विश्वबोध या वैश्विक चेतना।

विश्वभाषा से अपेक्षाएं होती हैं कि उसे बोलने–समझने वालों का विस्तृत भौगोलिक विस्तार हो। आज भारत के बाहर नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, फीजी, मॉरीशस, ट्रिनीडाड, गयाना, सूरीनाम, इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी भाषी प्रचुर संख्या में हैं। दूसरी अपेक्षा है कि वह भाषा लचीली हो, उसमें भिन्न संदर्भों की अभिव्यक्ति की क्षमता हो, उसका एक सर्वस्वीकृत मानक रूप हो, उसमें उपमानकों की कुछ दूर तक स्वीकृति होते हुए भी परस्पर संप्रेषणीयता किसी–न–किसी स्वीकृत मानक के माध्यम से बनी हुई हो और हिंदी में यह गुण भी हैं।

हिंदी में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, बुंदेली, बघेली, मागधी, छत्तीसगढ़ी और जाने कितनी उपजन भाषाओं के शब्द भंडार, मुहावरे और उसकी लोकोक्तियां रच–बस गई हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा का भारत की अन्य भाषाओं के साथ शताब्दियों से घनिष्ठ संपर्क रहा है। विश्वभाषा से तीसरी अपेक्षा है कि भाषा में विश्व मन का भाव हो। हिंदी भाषी अपने देश में भी अनेक राज्यों में निवास करने के कारण प्रांतीयता से ऊपर उठा हुआ है और उसके पास ऐसे साहित्य की विशाल परंपरा है, जो विश्व के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयुक्त भाषाएं

संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया नियम 51 से 57 में

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा इसकी विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों के लिए आधिकारिक तथा कार्य संचालन की भाषाओं की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अधिवेशन में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर इसके सभी संगठनों के लिए अंग्रेजी, फ्रैंच, रूसी, चीनी और स्पेनिश को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की छह आधिकारिक भाषाएं हैं। अरबी को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वैंज का दर्जा वर्ष 1973 में मिला था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महत्वपूर्ण देश है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने की मुहिम की शुरूआत भारत के नागपुर में 10 जनवरी, 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर और वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदी में भाषण दिया था। वर्ष 2003 में सूरीनाम में सातवां विश्व हिंदी को विश्वभाषा का दर्जा मिलना चाहिए।

03 जनवरी, 2018 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए कुल 193 सदस्य देशों में से दो तिहाई बहुमत यानी न्यूनतम 129 सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता है। इसके साथ ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की मान्यता दिए जाने के बाद होने वाला खर्च भी भारत को ही उठाना होगा। एक अनुमान के अनुसार इसके लिए शुरू में लगभग एक अरब रूपये खर्च करने होंगे।

हिंदी विश्वभाषा की ओर –सकारात्मक प्रवृत्तियां

हिंदी एक विश्वभाषा है, क्योंकि वह एक देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ–साथ अन्य देशों में भी पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा लिखी, बोली और समझी जाती है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियां इस प्रकार दिखाई दे रही हैं –

- भौगोलिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि इसके बोलने–समझने वाले संसार के सब महाद्वीपों में फैले हैं।
- जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने–समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है।
- विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं।
- एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है।
- हिंदी का किसी देशी या विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहीत होकर हिंदीमय बन गए हैं। यही कारण है कि आज हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्दकोश है।
- हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अन्तरराष्ट्रीय जगत छिपाए हुए हैं। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी सारे संसार की वाँ भाषाओं के शब्द इसकी अन्तरराष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुम्बकम वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं।
- हिंदी का साहित्येतर लेखन बढ़ा है तथा लेखन का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा है।
- गुणवता की दृष्टि है अनुवाद की स्थिति बेहतर होती जा रही है। लघु पत्रिकाओं में मौलिक और अनुवाद के प्रकाशन का स्वागत और स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।
- प्रवासी भारतीय (एनआरआई) वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष वाहक लगते हैं और आडियो–वीडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसके बीच हिंदी एक जीवंत कड़ी बन रही है।
- इंटरनेट पर हिंदी भी स्वीकार्य और लोकप्रिय हो रही है। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर में प्रसारित होने लगा है।
- देश–विदेश में प्रकाशित होने वाले पत्र–पत्रिकाओं ने हिंदी को विश्वभाषा बनाया है। इसके द्वारा

हिंदी भाषा और साहित्य का प्रसार विदेशों में हुआ है।

- भारत के आकाशवाणी और दूरदर्शन हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में निरंतर कार्यरत हैं। विश्व के टी.वी. चैनलों से हिंदी के कार्यक्रमों के प्रसारण ने भी हिंदी को विश्व भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हिंदी की व्यापकता के कारण दुनिया के 175 देशों में हिंदी के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनेक माध्यम केंद्र बन गए हैं। हिंदी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण विश्व के लगभग 180 विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में चल रहा है। सिर्फ अमरीका में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इससे हिंदी का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
- "एनाकाटीर् एनसाइक्लोपीडिया" के अनुसार चीनी भाषा के बाद संसार में प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। हिंदी के बाद क्रमशः स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, रूसी और फ्रांसीसी भाषाओं का स्थान आता है।

विश्वभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष समस्या

विश्वभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष अन्य अनेक समस्याएं हैं जैसे–विदेशों से जिस अनुपात में भारतीय/हिंदू संस्कृति का ह्रास और पश्चिमी भोगवादी सभ्यता का विकास होता चला जा रहा है, उसी मात्र में हिंदी का प्रचलन काफी कम होता जा रहा है। भारत से प्रवजन, पलायन करने वाले युवा बुद्धिजीवियों और श्रमिकों पर यह भाषा टिकी हुई है किन्तु वे बड़ी तेजी से अंग्रेजियत के रंग में रंगते जा रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ी हिंदी से अपरिचित–सी है। जब इसे संविधान में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया तो ऐसा माना जाने लगा कि इसे देर–सबेर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं संसार की अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं–संस्थानों में भी स्थान मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में इसे भी मान्यता प्राप्त होगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के व्यापक प्रचार–प्रसार के निमित अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यथासंभव अनुदान भी दिया गया किन्तु जिस लक्ष्य को लेकर उसकी स्थापना की गई थी वह अपनी लक्ष्य सिद्धि तक नहीं पहुंच सका है। भारत विश्व बाजार की टेक्नॉलॉजी से जुड़ तो रहा है पर केवल अंग्रेजी के माध्यम से। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की इन आधुनिक संचार साधनों में उपस्थिति काफी कम है।

विज्ञापन एजेंसियों में सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में बनते है बाद में जैसे–तैसे उनका काम–चलाऊ अनुवाद कर दिया जाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के नाम पर अनुवाद की ऐसी कृत्रिम और अटपटी भाषा तैयार हुई है, जो आम जनता के लिए अंग्रेजी जितनी ही दुरूह है। हिंदी और अंग्रेजी की अजीबो–गरीब खिचड़ी की भाषा गढ़ी जा रही है। विश्व बाजार की नई स्थितियों में यही हिंदी भाषा की सबसे की विडम्बना है। हिंदी केवल माल बेचने की भाषा बन रही है।

कानून के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति खराब है। अभी तक उच्च न्यायालयों से हिंदी का प्रयोग कहीं–कहीं ही हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी ही है। जो कानूनी पुस्तकें नियम, अधिनियम आदि हिंदी में हैं उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है और न ही अधिनियमों आदि की हिंदी भाषा लोगों की समझ में आती है। अटपटे और क्लिष्ट वाक्यों से युक्त कानूनी पुस्तकों की हिंदी बहुत–से हिंदी प्रेमियों के मन में भी अरुचि पैदा करती है।

विश्व व्यापार आयात–निर्यात के क्षेत्रों में दस्तावेजों आदि के लिए प्रयुक्त मानक फार्म आदि मात्र दिखावा बनकर रह गये हैं, उनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। ऐसे में विश्व बाजार से जुड़े कानूनी दाव–पेंचों, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, उनके संबद्ध दस्तावेजों और उस समस्त प्रक्रिया में हिंदी के प्रयोग की कल्पना करना कठिन है।

हिंदी को विश्वभाषा बनाने के लिए सुझाव

10 जनवरी को विश्व के लगभग 180 देशों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में जब हम विदेश में हिंदी की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य विदेश में हिंदी भाषा के अधिक–से –अधिक

प्रसार के साथ ही विविध क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग से है। इसके प्रसार और उपयोग में कई कठिनाइयां हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की भूमिका सार्थक हो तथा उसका प्रयोग बढ़ सके इसके लिए पहली आवश्यकता हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने जो लिपि का मानकीकरण किया उसका उपयोग निदेशालय के अलावा कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि सरकारी प्रकाशनों में भी नहीं, निजी प्रकाशकों की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही स्थिति हिंदी भाषा की भी है। हिंदी देश की संविधान स्वीकृत राजभाषा है किन्तु उसके मानकीकरण की बात प्रशासकीय स्तर पर कोई नहीं सोचता।

हिंदी के सामने अन्य हिंदी भाषा का विदेशी भाषा के रूप में विधिवत शिक्षण–प्रशिक्षण है। देश में हिंदी का ऐसा कोई भी भाषा शिक्षण संस्थान नहीं है, जिसमें विदेशियों के लिए हिंदी भाषा के ऐसे विविध पाठ्यक्रम हो, जिनको पूरा कर कोई भी विदेशी छात्र हिंदी माध्यम से चलने वाले चिकित्सा, इंजीनियरी तथा अन्य विज्ञान के विषयों को पढ़ने–समझने की अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर सके या फिर कोई विदेशी अल्प समय में भाषा पर इतना अधिकार प्राप्त कर सके कि वह भारत में यात्रा कर सके, अपने उपयोग की सामग्री खोज सके, हिंदी समाचारपत्र पढ़कर भारत के समाचार जान सके।

विदेशी हिंदी प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो, जिनमें उनकी समस्याओं पर विचार हो और योजनाबद्ध तरीके से अपेक्षित लक्ष्य के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएं। विश्व में हिंदी का प्रसार हो, हिंदी अध्ययन–अनुसंधान की दिशा में प्रगति हो, इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी के संदर्भ ग्रंथ तैयार किए जाएं। यह भी निश्चित है कि हिंदी भाषा और उसे बोलने वालों की जिजीविषा उसे मरने नहीं देगी लेकिन इसके लिए उसे पहले अपनी ढुलमुल मानसिकता, दुविधा, अस्पष्ट चिंतन और तनावपूर्ण मनः स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। इसका एक रास्ता अपनी जड़ों और अपनी बोलियों की वापसी भी।

सूचना क्रांति के युग में हिंदी को भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का महत्व बताना होगा। अतः इसे कंप्यूटर की भी भाषा बनाना होगा। हिंदी में ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे जिनसे वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान–प्रदान करना और भी आसानी तथा सहजता से संभव हो सके। हिंदी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की रूपरचना और हिंदी कूटपदों तथा संकेताक्षरों का प्रचलन होना चाहिए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम अपने यहां के उत्पादों पर लेबलिंग हिंदी में करेंगे तो निश्चित ही इससे हिंदी का प्रचार–प्रसार भी होगा, चाहे वे दवाइयां हो या अन्य पदार्थ जैसे उपभोक्ता वर्ग की अनिवार्य वस्तुएं आदि।

अनुवादक और अनुवाद के उपकरण तथा दुभाषियों की लम्बी श्रृंखला चाहिए। यही सब हिंदी को अन्य विश्व भाषाओं के समकक्ष खड़ा कर सकेगा। विदेशों में हिंदी मुद्रण–टंकण, आशुलेखन की सुविधा का विस्तार होना चाहिए। हिंदी की कालजयी कृतियों का विभिन्न भाषाओं वाँ से रूपान्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशों में हिंदी पत्र–पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन तथा उनकी सुलभ बिक्री–वितरण होना चाहिए। विश्वभाषाओं से सबंधित द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों, विश्वकोशों का सम्पादन–प्रकाशन होना चाहिए।

हिंदी के प्रति हमें अपने दायित्व पर भी विचार करना होगा। वस्तुतः हिंदी में हम जितना काम कर पाये हैं ? क्या कोई भाषा मात्र अपने साहित्य की वृद्धि से ही विश्व भाषा बन सकती है ? कदाचित नहीं। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के विश्वव्यापी प्रसार की बात तो हम करते हैं किन्तु इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं करते। हम कागजी योजनाएं बनाते हैं किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं करते, कार्यान्वयन होता है तो उसे पूर्ण नहीं करते या कर नहीं पाते। आवश्यकता है हिंदी के वैश्विक विकास के लिए एक ऐसी ठोस भूमि तैयार करना, जिससे हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाए। इस दिशा में विश्व स्तर पर कार्य हो रहा है और प्रगति भी दिख रही है।

हिंदी का विदेशों में बढ़ता प्रभाव

हिंदी भारतवासियों की संपर्क भाषा तो बन ही

चुकी है और अब विश्वभाषा बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हिंदी भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा नहीं है परंतु व्यावहारिक स्तर पर उसकी सभी एजेंसियों की मान्य भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में नियमित रूप से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सघन प्रयास जिए जा रहे हैं। जिन देशों में हिंदी बोलीं और पढ़ी–लिखी जाती है, उन देशों का एक संगठन बनाने का प्रयास भी भारत सरकार कर रही है।

हिंदी के प्रचार–प्रसार को गति देने के लिए विदेश मंत्रालय में "हिंदी एवं संस्कृत प्रभाग" का गठन किया गया है। यह विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियों को संयोजित करता है। यह अपने विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से हिंदी के प्रचार–प्रसार में जुटी संस्थाओं को हिंदी कक्षाएं आयोजित करने एवं अन्य गतिविधियों के लिए अनुदान देता है। साथ ही यह विदेशों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी संम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद (आईसीसीआर) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसने दुनिया भर में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पीठ की स्थापना की है। इन विश्वविद्यालयों में यह भारत से ही शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजती है, जो उस देश में हिंदी के प्रचार–प्रसार, अध्यापन, शोधकार्य इत्यादि से सहयोग करते हैं। यह प्रतिवर्ष योग्य हिंदी प्राध्यापकों का पैनल भी तैयार करती है।

आज हिंदी बारह से अधिक देशों में बहुसंख्यक समाज की मुख्य भाषा है। आज सात समुद्र पार तक एक चौथाई दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, मॉरीशस, न्यूजीलैंड़, सिंगापुर, यमन, युगांडा इन दस देशों में हिंदी भाषी–भारतीयों की जनसंख्या दो करोड़ है। फिजी, गुआना, सूरीनाम, टोबोगो, ट्रिनिडाड तथा अरब अमीरात – इन छह देशों में हिंदी को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी का बोलने, लिखने–पढ़ने तथा अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है, उन्हें हम इन वर्गों में बाट सकते हैं –

- जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते है जैसे – पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आदि।
- भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जैसे– इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया तथा जापान आदि।
- जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है – अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देश।
- अरब और अन्य इस्लामी देश जैसे–संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उजबेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के साथ–साथ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए कुछ ठोस पहल की जाए। हिंदी में यह शक्ति कब आएगी कि वह विश्व के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा बन जाए, जिसकी उपेक्षा न हो सके। यह तभी होगा जब हमारी मानसिकता बदलेगी। हमें अपनी भाषा बोलते हुए गौरव का अनुभव होगा। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चीन आदि सभी शक्तिशाली देश अपनी भाषा में वक्तव्य देते हैं और अनुवादक के माध्यम से उनकी बात विदेशी श्रोताओं तक पहुंचती है। हिंदी को लेकर भी ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। हिंदी के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम वास्तविक स्थिति और अपनी कमियां समझें, हमें लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान हो, लक्ष्य प्राप्ति की सार्थक योजनाएं बनें, ईमानदारी तथा दृढ़ता से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए तथा समय–समय पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हिंदी को विश्व में अपना स्थान बनाये रखने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

निदेशक (तकनीकी/कार्यान्वयन) के निजी सचिव
राजभाषा विभाग,
एनडीसीसी–2 बिल्डिंग, चतुर्थ तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001